भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1350

जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

प्राकृतिक आपदाओं के समय उधारकर्ताओं को राहत

1350. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए राहत प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अग्नि दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को भी प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह सच है कि बैंक अपने उधारकर्ताओं को समय पर राहत देने से मना कर देते हैं, जिससे ऐसे उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का उन मामलों में उधारकर्ताओं को वैकल्पिक सहायता प्रदान करने का विचार है जहां बैंक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत देने में विफल रहते हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): बैंकों के पास प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों के संबंध में बोर्ड अनुमोदित नीतियां हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के 'प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर मास्टर निदेश, 2018' और 'तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर मास्टर निदेश, 2025', जो कि समय-समय पर अद्यतन और संशोधित किया जाता है, जिसमें नवीनतम संशोधन दिनांक 29.04.2026 को किया गया है, के द्वारा निर्देशित है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)/संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी)/जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के निर्णयों सहित विचार किए जाने योग्य कारकों को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना के कार्यान्वयन पर राहत उपाय किए जाते हैं। क्षति का स्वरुप और उसकी सीमा के आधार पर, समाधान योजना में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

1. पुनर्संरचना: इसमें ऋण अवधि का विस्तार, अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में बदलना, बकाया ब्याज को वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में बदलना आदि शामिल हो सकते हैं।
2. समान मासिक किस्त (ईएमआई) को स्थगित करना,
3. अधिस्थगन,
4. सावधि ऋणों का पुनर्निर्धारण
5. उधारकर्ता के वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए अतिरिक्त वित्त।

(ख): अग्नि सम्बन्धी घटनाओं से होने वाली क्षति को सामान्यत प्राकृतिक आपदा के रूप में तब तक वर्गीकृत नहीं किया जाता है जब तक कि यह किसी वृहत्तर अधिसूचित आपदा घटना का हिस्सा न हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से मान्यता न दी हो/घोषित न किया जाए। ऐसे अपवादात्मक मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा नीतियों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर राहत उपायों पर विचार किया जाता है और एसएलबीसी/यूटीएलबीसी/डीसीसी की सिफारिशों पर राहत उपाय किए जाते हैं।

(ग): सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है जहां प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पात्र उधारकर्ताओं को समय पर राहत नहीं दी गई हो। पहचान किए गए पात्र उधारकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बैंक की नीति के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऋणों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण, अधिस्थगन और अन्य अनुमेय राहतें, जो लागू हों, जैसे निर्धारित राहत उपाय प्रदान किए जाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य वित्तीय तनाव को कम करना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले व्यवधान के कारण खातों का गैर-निष्पादित आस्तियों में परिवर्तित होने से रोकना है।

(घ) और (ङ): दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक -तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान, द्वितीय संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार, प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए समाधान योजना को आपदा की घोषणा की तारीख से 45 दिनों के भीतर लागू किया जाना आवश्यक है और इस तरह की घोषणा की तारीख से 135 दिनों के भीतर लागू किया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के संवितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जवाबदेही संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके पास पहले से ही उपलब्ध राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित संभार तंत्र और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) गंभीर स्वरूप की आपदा के मामले में राज्य के एसडीआरएफ को भी सहयोग प्रदान करता है।
